न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 101/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/522)

समयसिंह पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली ढाणी लावडा तहसील सिकराय जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन अधिकारी दौसा जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 21.07.2023 उनवानी अपील समयसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित किया गया जिसके तहत अपीलान्ट की अपील खारिज फरमा दी गई अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज गुर्जर, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक –22.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 21.07.2023 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 10.10.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के यहां एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने वन भूमि खसरा नम्बर नया 295 पुराना 187 रकबा 0.2 है0 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा तथा अतिचार कर रखा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी दौसा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पेनल्टी 2100/– रूपये की वसूली का आदेश फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 के द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. सहायक वन संरक्षक दौसा के निर्णय दिनांक 30.12.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा दिनांक 30.12.2020 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.12.2020 सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा पुराना खसरा नम्बर 197 नया खसरा नम्बर 295 रकबा 0.02 है0 वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा व अतिचार बताया जाकर अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा मनमानीपूर्ण तरीके से विधि विधान नियम प्रक्रिया के विरूद्ध वैगपूर्ण निर्णय बाबत पैनल्टी 2100/– रूपये की शास्ति आरोपित की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

पेश की गई। जिस पर सहायक वन अधिकारी दौसा के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमा दी गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 295 साबिक खसरा नम्बर 187 ग्राम मोरोली तहसील सिकराय के सम्बन्ध में एक वाद पत्र संख्या 90/2020 बाबत दुरूस्ती नक्शासीट एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अपीलान्ट एवं तहसीलदार सिकराय तथा भू प्रबन्ध अधिकारी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। उक्त वाद पत्र के चरण नम्बर 5 में वादी रेस्पोडेन्ट वन विभाग द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया है कि वर्तमान राजस्व नक्शा एवं वन बंदोबस्त के दोनों नक्शों में अंकन तरमीम भिन्नशुदा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आराजी के संबंध में प्रकरण संख्या 82/2020 उनवानी जयसिंह बनाम राज0 सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा एवं अन्य प्रकरण संख्या 83/2020 जयसिंह बनाम सरकार में अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि की खातेदारी के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर सिकराय के यहां वाद विचाराधीन है। उक्त दोनों प्रकरणों को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर दौसा द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया है। श्रीमान के समक्ष पेशशुदा अपील में भी उक्त भूमि ही है जो वादग्रस्त है तो फिर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित फरमाया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। अपील संख्या 82/2020 तथा 83/2020 को तो प्रतिप्रेषित किया गया जबकि प्रश्नगत प्रकरण से जुडी अपील संख्या 01/2021 को निरस्त किया गया है। जो विरोधाभाषी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपने अधिवक्ता से दिनांक 17.09.2023 को मिलने पर उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 27.09.2023 को नकल प्राप्त कर बाद कानूनी सलाह प्राप्त कर अपील अपीलान्ट जानकारी से अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 21.07.2023 एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन अधिकारी दौसा दिनांक 30.12.2020 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अपील संख्या से संबंधित प्रकरण संख्या 01/2021 उनवानी समयसिंह बनाम सहायक वन अधिकारी दौसा जिसमें खसरा नम्बर नया 295 पुराना 187 पर अतिक्रमण किया गया है, के साथ प्रस्तुत अन्य प्रकरण संख्या 82/2020 तथा 83/2020 को विचारण न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा को प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त दोनों अपीलों 82 एवं 83/2020 में भी खसरा नम्बर नया 295 पुराना 187 पर ही अतिक्रमण किया गया है। उपरोक्त दोनों अपीलों के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा अंकित किया गया है कि वन विभाग तथा अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि पर इन्द्राज दुरूस्ती का वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय, जिला दौसा में प्रस्तुत कर रखा है। उपरोक्त दोनों अपीलों, अपील संख्या 82, 83/2020 को विचारण न्यायालय सहायक वन संरक्षक, दौसा को प्रतिप्रेषित किया गया है। जब उपरोक्त तीनों

 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलों में विवादित भूमि समान है तो अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से अपेक्षित था कि वह तीनों अपीलों में पारित निर्णयों में एकरूपता रखता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तीनों प्रकरणों में भिन्न निर्णय पारित किये गये हैं, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं कहे जा सकते हैं। उक्त के आलोक में प्रश्नगत अपील में भी समान खसरा नम्बर तथा तथ्य होने के कारण प्रश्नगत अपील भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि या तो अपील संख्या 82/2020, 83/2020 में समान विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित निर्णयों को रिव्यू करें अथवा प्रश्नगत अपील में भी उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय, जिला दौसा में विचाराधीन दावों एवं अन्य समान अपील संख्या 82/2020 व 83/2020 उनवानी जयसिंह बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 21.07.2023 में पारित निर्णयों के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा, जिला दौसा दिनांक 21.07.2023 एवं सहायक वन संरक्षक, दौसा निर्णय दिनांक 30.12.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि या तो अपील संख्या 82/2020, 83/2020 में समान विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित निर्णयों को रिव्यू करें अथवा प्रश्नगत अपील में भी उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय, जिला दौसा में विचाराधीन दावों एवं अन्य समान अपील संख्या 82/2020 व 83/2020 उनवानी जयसिंह बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 21.07.2023 में पारित निर्णयों के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर